राज्य बजट का अध्ययन व विश्लेषण

बजट समाचार

त्रैमासिक | अंक 33 | अप्रैल–जून 2010 | सीमित प्रसार के लिए

सम्पादकीय

विकास की दिशा तय करता है बजट

बजट अध्ययन केंद्र राजस्थान की ओर से प्रकाशित बजट समाचार का 33 वां अंक आपके हाथों में है। बजट समाचार के अब तक के प्रकाशित सभी अंकों में हमने राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणाकारी योजनाओं और विभिन्न विभागों व मदों में आवंटित बजट की स्थिति का अध्ययन कर इसे अपने पाठकों के सामने लाने का प्रयास किया है। हमारे प्रबुद्ध पाठकों के सहयोग का ही नतीजा है कि हम निरंतर समय पर बजट समाचार का प्रकाशन कर पा रहे हैं।

बजट समाचार के इस 33 वें अंक में हमने बढ़ती महंगाई के दौर में कृषि और पशुधन की स्थिति को लेकर बार्क टीम की ओर से किए गए अध्ययन के नतीजों को आपके सामने लाने का प्रयास किया है। देश में बढ़ती महंगाई ने पशुओं के चारे को भी अछूता नहीं छोड़ा है। विडंबना की बात यह है कि प्रबुद्ध शहरी वर्ग को दूध पिलाने वाले राज्य के 35 फीसदी पशु पालक दूध की एक छटांग भी अपने पास नहीं रखते। आजादी के 66 साल बाद भी प्रदेश के 44 फीसदी किसान पूरी तरह से अंगूठा टेक हैं। किसानों की निरक्षरता के लिए कोई ओर नहीं बल्कि सरकार सबसे बड़ी जिम्मेदार है। सरकार यदि समय रहते सही कदम उठाती तो आज प्रदेश के किसान और पशुधन की अलग स्थिति होती।

बजट समाचार के इस अंक में हमने बच्चों के अधिकारों और उनके लिए आवंटित बजट का अध्ययन आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। राज्य में करीब 19 फीसदी आबादी 0 से छह वर्ष तक के बच्चों की है, लेकिन इन बच्चों के लिए आवंटित बजट का प्रतिशत बहुत ही कम है। बच्चों के समुचित पोषण, स्वास्थ्य और बाल सुरक्षा के लिए आवंटित बजट तो महज दस फीसदी से भी कम है।

साथ ही इस अंक में हमने राजस्थान में महिला अत्याचारों की स्थिति से भी पर्दा उठाने का प्रयास किया है। बजट अध्ययन केंद्र राजस्थान की टीम की ओर से किए गए अध्ययन में यह सामने आया है कि प्रदेश में जैसे–जैसे शराब का प्रचलन बढ़ता जा रहा है, वैसे–वैसे महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा के मामलों में भी बढ़ोतरी हो रही है। महंगाई के इस दौर में खाद्य सुरक्षा सरकार की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होनी चाहिए, लेकिन राज्य में चयनित परिवारों को दिए जाने वाले 35 किलोग्राम गेहूं की मात्रा में दस किलोग्राम की कटौती कर सरकार अपनी इस जिम्मेदारी का ठीक से निर्वहन नहीं कर पाई है। गरीब और वंचित वर्ग को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार को सस्ती दर पर पूरे अनाज की व्यवस्था करनी होगी। साथ ही इस अंक में हमने राज्य में वैधव्य जीवन की मार झेल रही महिलाओं की स्थिति को जानने की कोशिश की है। बार्क टीम का यह सुझाव है कि राज्य सरकार यदि प्रदेश में विधवा महिलाओं को आर्थिक संबल प्रदान करना चाहती है तो विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन की राशि को महंगाई से जोड़ना ही होगा।

–बार्क टीम

कठिन हुआ पशुपालन : बार्क का अध्ययन

- महीने की 15 हजार आमदनी हो तो पालिये भैंस
- पांच हजार रुपए की आमदनी में बकरी पालना भी मुश्किल
- महंगाई ने महंगा किया पशुओं का चारा

अगर आपकी महीने की आमदनी चार हजार रुपए से कम है तो आपको गाय और भैंस पालने का ख्वाब मन से निकाल देना चाहिए। देश में बढ़ती महंगाई ने गाय और भैंस के चारे को भी अछूता नहीं छोड़ा है। आज एक आम आदमी साढ़े तीन हजार रुपए महीना आमदनी में अपना पेट भर सकता है, लेकिन महंगाई के इस दौर में इस राशि में एक गाय और भैंस का गुजारा संभव नहीं है।

बजट अध्ययन राजस्थान केंद्र (बार्क) की ओर से हाल ही में राजस्थान में पशुपालन और कृषि की स्थिति को लेकर किए गए अध्ययन में यह खुलासा हुआ है. वरिष्ठ बजट विश्लेषक नगेंद्र सिंह खंगारोत के नेतृत्व में किए गए इस अध्ययन में यह सामने आया है कि एक भैंस के चारे और पशु आहार पर रोजाना 110 रुपए खर्च होते हैं. इसी तरह एक गाय हर दिन 93 रुपए का चारा और पशु आहार चट कर जाती है. यानि एक भैंस हर माह 3300 रुपए और गाय 2790 रुपए का चारा और पशु आहार खा जाती है. गाय और भैंस की तो बात दूर बकरी और भेड़ भी हर दिन औसतन 60 रुपए का चारा चट कर जाती हैं. यानि भेड़ और बकरी भी हर दिन 1800 रुपए का चारा खा जाती हैं. इस अध्ययन में यह सामने आया है कि एक ऊंट रोजाना 86 रुपए और घोड़ा 50 रुपए का चारा खाता है. हालांकि घोड़े को खिलाने के लिए दाल और अन्य सामग्री की काफी जरूरत पड़ती है.

बार्क टीम की ओर से पशु पालकों से की गई बातचीत में यह सामने आया है कि एक गाय को हर दिन 36 रुपए का सूखा चारा, 14 रुपए का हरा चारा और 43 रुपए का पशु आहार खिलाना पड़ता है. इसी तरह एक भैंस को भी हर दिन 46 रुपए का सूखा चारा, 14 रुपए का हरा चारा और 50 रुपए का पशु आहार देना पड़ता है. बार्क की ओर से राजस्थान के दस जिलों की 20 तहसीलों में यह अध्ययन किया गया है. तहसीलों का चयन ग्रामीण सा रता, खेतों का क्षेत्रफल, वित्तीय संस्थानों की उपलब्धता, एग्रो क्लाइमेटिक जोन, किसानों की ऋणग्रस्तता का स्तर और जातिगत भेदभाव को ध्यान में रखकर किया गया है.

35 फीसदी किसान नहीं चखते दूध का स्वाद :

इस अध्ययन का एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि हर माह तीन हजार रुपए का पशु आहार और चारा खिलाने के बावजूद 35 फीसदी किसान अपने पास दूध की एक छटांग भी नहीं रखते हैं. तीन प्रतिशत किसान अपने घर में एक किलोग्राम दूध रखते हैं

शेष पृष्ठ 3 पर..

निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कानून 2010

संसद में पिछले वर्ष पारित किया गया निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कानून 2009 देश भर में एक अप्रेल 2010 से लागू हो गया है। इस कानून के लागू होने के साथ ही देश में छह से 14 वर्ष तक के एक करोड़ से अधिक बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा पाने का कानूनी अधिकार प्राप्त हो गया। ये एक करोड बच्चें ऐसे हैं जिन्होने या तो स्कूल की दहलीज पर कदम ही नही रखा या फिर किसी मजबूरीवश बीच में स्कूल छोड़ दिया। भारतीय संवैधानिक इतिहास में यह पहला ऐसा अधिकार है जिसे कानून के रुप में अमली जामा पहनाया गया है। इस कानून को शिक्षा के क्षेत्र में एक परिवर्तनकारी कदम माना जा रहा है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2002 में भारतीय संविधान के 86 वें संशोधन के तहत एक उपबंध जोड़ा गया था जिसमें छह से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार माना गया था। इसके बाद से ही लगातार इसे कानून बनाने की कोशिशें चल रही थी।

- देश भर में 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क प्रारम्भिक शिक्षा, अनिवार्य प्रवेश एवं उपस्थिति पाने का कानूनी अधिकार होगा।
- गैर पंजीकृत अथवा किसी कारण से बीच में पढ़ाई छोड़ चुके बच्चों को उनकी आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा जिसके लिए उन्हे मानसिक एवं बौद्धिक रुप से तैयार करने के लिए विद्यालय के अध्यापकों द्वारा पूर्व प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- विद्यालयों में बच्चों को शारीरिक दंड एवं मानसिक उत्पीड़न नहीं दिया जा सकेगा। ऐसा करने वाले शिक्षकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का प्रावधान।
- विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु केन्द्र द्वारा न्यूनतम मापदंड एवं शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की जाएगी।
- विद्यालयों के अध्यापकों को जनगणना, आपदा प्रबंधन एवं चुनावों (संसद, विधानसभा एवं स्थानीय निकाय) के अतिरिक्त अन्य कार्यो में नहीं लगाया जाएगा। अध्यापक का काम सिर्फ और सिर्फ बच्चों को पढ़ाना होगा।
- हर विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात निर्धारित किया जाएगा जो कि कक्षा 1 से पांच के लिए 30:1 तथा कक्षा 6 से 8 तक के लिए 35:1 होगा। इसी अनुपात में कक्षाओं में शिक्षक लगाए जाएंगे।
- प्रत्येक विद्यालय में एक प्रबंधन समिति बनाई जाएगी जिसमें क्षेत्र के निर्वाचित प्रतिनिधी, शिक्षक एवं अभिभावक शामिल होंगें। इस समिति में कमजोर एवं वंचित तबके का प्रतिनिधित्व भी आवश्यक होगा। यही समिति सभी बच्चों को स्कूल से जोडने में मदद करेगी।
- अनुदानित विद्यालयों में कम से कम 25 प्रतिशत बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी।
- निजी एवं विशेष श्रेणी के विद्यालयों में पहली कक्षा के लिए समीववर्ती ईलाके के कमजोर एवं वंचित वर्ग के बच्चों के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित होंगी जिनके लिए किसी प्रकार का कोई कैपिटेशन शुल्क, प्रवेश शुल्क या स्क्रीनिंग शुल्क देय नहीं होगा। इसकी पालना नहीं करने वाले निजी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई होगी।
- सभी विद्यालयों के लिए मान्यता लेना आवश्यक होगा अर्थात बिना मान्यता प्राप्त कोई विद्यालय नहीं होगा। बिना मान्यता विद्यालय पाए जाने पर उसे तुरंत बंद करा दिया जाएगा तथा भवन सरकारी कब्जे में आ जाएगा।
- राज्य में नये विद्यालय खोलना एवं इनमें सुविधाओं का ध्यान रखना राज्य सरकारों का दायित्व होगा तदर्थ वित्तिय सहायता

शेष पृष्ठ 4 पर..

खाद्य असुरक्षा का बढ़ता संकट

- गरीबों पर गेहूं कटौती की मार
- खाद्य असुरक्षा बनी गरीबों के लिए संकट

एक तो पहले से गरीबी का अभिशाप और उस पर सस्ते गेहूं की मात्रा में सरकारी कटौती की मार। देश के 26 करोड़ गरीब लोगों को सरकारी धोखाधड़ी की यह पीड़ा झेलनी पड़ रही है। यही वह आबादी है जिसके सामने खाद्य सुरक्षा इस समय सबसे बड़ा संकट बना हुआ है। देश की हर पार्टी सत्ता में आने से पहले खाद्य सुरक्षा को सुदृढ़ करने के बड़े–बड़े दावे करती हैं, लेकिन वास्तविक रुप में गरीबों के लिए खाद्य असुरक्षा लगातार बढ़ती जा रही है। खाद्य असुरक्षा से तात्पर्य लोगों के पास स्वस्थ व क्रियाशील जीवन के लिए सुरक्षित व पोषणयुक्त भोजन के लिए भौतिक एवं आर्थिक संसाधनों का अभाव होना है।

राष्ट्रीय सैंपल सर्वे संगठन के मुताबिक देश में करीब 25 करोड़ लोग हर दिन भूखे सोते हैं। विश्व में सबसे ज्यादा भूखग्रस्त लोगों की तादाद भारत में है। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति शोध संस्थान की वर्ष 2009 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे ज्यादा भूखग्रस्त 88 देशों को लेकर बनाए ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का 65 वां स्थान है। भारतीय राज्य हंगर इंडेक्स के अनुसार देश के मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंउ, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा एवं राजस्थान में गरीबी की स्थिति बहुत ही भयावह है। इस इंडेक्स के अनुसार राजस्थान की स्थिति गंभीर (21. 00 अंक, जो अखिल भारतिय स्तर 23.7 से कुछ ही कम है) है।

राजस्थान में गरीबी की प्रमुख वजह प्रतिवर्ष सूखे एवं अकाल की स्थिति, कृषि उत्पादन का जनसंख्या वृद्धि की तुलना में नही बढना, खाद्य सुरक्षा को सहायता देने वाली योजनाओं जैसे–सार्वजनिक वितरण प्रणाली, आईसीडीएक्स, मिड डे मिल, राष्ट्रीय पेंशन योजना (विधवा एवं वृद्धावस्था पेंशन) आदि की सही क्रियांविती का अभाव होना है। इन्हीं कारणों की वजह से राजस्थान में खाद्य असुरक्षा बढ़ रही है। राज्य की लगभग 15.28 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है एवं राज्य में विधवाओं, वृद्धों, आदिवासियों, दलितों एव महिलाओं तथा बच्चों की बड़ी तादाद है एवं इन वर्गों की खाद्य सुरक्षा, सामाजिक एवं आर्थिक पिछड़ेपन के कारण सर्वाधिक प्रभावित होती है। खाद्य असुरक्षा की समस्या के कारण राज्य में स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थितियों में भी तमाम सरकारी प्रयासों के बावजूद सुधार नही हो पा रहा है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण रिपोर्ट 2009 के अनुसार राज्य में स्वास्थ्य संबंधी सूचकों में शिशु मृत्यु दर 63 (प्रति 1000 जीवित जन्म) है, जो राष्ट्रीय औसत (53 प्रति हजार) से अधिक है। प्रदेश में मातृ मृत्यु दर (388 प्रति लाख जीवित जन्म) भी राष्ट्रीय औसत (254 प्रति लाख जीवित जन्म) से अधिक है। इसके अलावा राज्य मे विशेषतः महिलाओं एवं बच्चों में कुपोषण एवं एनिमिया की समस्याएं भी गंभीर बनी हुई है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण –3 के अनुसार 3 वर्ष तक की उम्र के बच्चों में एनिमिया का प्रतिशत (79.1) है जो राष्ट्रीय औसत (78.9) से अधिक है एवं इनमें अल्पवजनता का प्रतिशत 36.8 है। वहीं एनिमिया से ग्रसित महिलाओं का प्रतिशत (53.8) है जबकि गर्भवती महिलाओं का प्रतिशत (61.7) भी राष्ट्रीय औसत (57.9) से अधिक है। राज्य में 33.6 प्रतिशत महिलाओं का शरीर सामान्य से कम बी.एम. आई. का है।

गरीबी और समस्याएं :

सुखे एवं अकाल से प्रभावित कृषि–

गौरतलब है कि राज्य की लगभग 70 की प्रतिशत आबादी अपनी आजीविका के लिए कृषि एवं इससे सम्बंधित कार्यों पर निर्भर रहती है। राज्य में कृषि मुख्यतः मानसून पर निर्भर रहती है, लेकिन राज्य में प्रतिवर्ष किसी न किसी क्षेत्र में अकाल एवं सूखा पड़ता है। पिछले 66 वर्षों की स्थिति देखते है तो राज्य में 55 बार किसी न किसी क्षेत्र में सूखा एवं अकाल पड़ा है। राज्य सरकार ने इस वर्ष राज्य के 26 जिलों को अकालग्रस्त घोषित किया है। गिरदावरी रिपोर्ट के अनुसार राज्य के 26 जिलों के 32833 गांव अकाल से प्रभावित है एव राज्य की 50 प्रतिशत फसल कमजोर मानसून के कारण खराब हो गयी जिससे इस वर्ष कृषि उत्पादन, पिछले 7 वर्षों की तुलना में सबसे कम हाने का अनुमान है।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली –

इसके अंतर्गत उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से लोगों को (विशेषतोर पर समाज के कमजोर वर्ग) सस्ती दरों पर खाद्यान्न एवं अन्य वस्तुएं वितरीत की जाती है। राज्य में 22991 उचित मूल्य की दुकाने है, जिनमें 17693 ग्रामीण क्षेत्रों में एवं 5298 शहरी क्षेत्रों में है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गरीब परिवारों को प्रति माह 35 किग्रा गेंहु का वितरण किया जाता था, जिसे घटाकर 25 किलोग्राम कर दिया गया है। यह गेहूं बी.पी. एल. परिवार को 4.70 रुपए प्रति किग्रा की दर से, अंत्योदय अन्न योजना के परिवार को दो रुपए प्रति किग्रा की दर से, ए.पी.एल. परिवार को 6.80 रुपए प्रति किग्रा की दर से तथा अन्नपूर्णा श्रेणी के परिवार को प्रति माह 10 किग्रा. निःशुल्क वितरित करने का प्रावधान है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गरीबी रेखा से उपर की आबादी के लिये खाद्य सामग्री के कम आवंटन एव कीमतें अधिक होने से उठाव कम होता है। इसके अलावा सामान्य जनता का इससे वंचित होना एवं जमाखोरी, कालाबाजारी तथा भ्रष्टाचार की बढती समस्याओं के कारण सर्वमान्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली स्थापित करने की मांग की जा रही है।

सरकारी नीतियां एवं योजनाएं –

बी.पी.एल. श्रेणी के गेहूं में कटौती :

राज्य सरकार ने इस वर्ष (2010–11) के बजट भाषण में 1 मई 2010 से राज्य में बी.पी. एल. श्रेणी (राज्य बी.पी.एल. को भी शामिल करके) लोगो को 25 किग्रा. गेहूं दो रुपए प्रति किग्रा की दर से प्रति परिवार वितरित करने एवं बी.पी.एल. परिवारों की संख्या 16.52 लाख से बढ़ाकर 27.14 (राज्य बी.पी.एल. को भी शामिल करते हुए) करने की घोषणा की थी। इस प्रकार मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा योजना को सम्पूर्ण राज्य में 10 मई 2010 से शुरु किया गया। अतः इस कटौती से राज्य में प्रति परिवार 10 किग्रा. गेंहु के कम वितरण से गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की खाद्य सुरक्षा पर विपरीत प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। यद्यपि गेंहूं की कीमत पहले की अपेक्षा कम (दो रुपए प्रति किग्रा) कर दी गई है लेकिन वितरण मात्रा 35 किग्रा से घटाकर 25 किग्रा किए जाना गरीब वर्ग पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ होगा। परिणामस्वरुप राज्य के वर्तमान 16.52 लाख बी.पी.एल. परिवारों पर सालाना करीब 50 करोड रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा क्योंकि प्रत्येक परिवार यदि 10 किग्रा अतिरिक्त गेंहूं बाजार से 14 रु. प्रति किग्रा की दर से खरीदता है तो उसे गत वर्षों की तुलना में 93 रुपए प्रतिमाह अतिरिक्त खर्च करने होंगे। इस प्रकार बी.पी.एल. जनसंख्या पर एक वर्ष में लगभग 50.55 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा।

उच्चतम न्यायालय के आदेशों की अवहेलना –

इस सम्बंध में उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार (28 नवम्बर 2001 एवं 10 जनवरी 2008 का आदेश) प्रत्येक बी.पी.एल. परिवार को 35 किग्रा अनाज प्रति माह वितरीत किया जाना चाहिये एवं कोई भी सरकार इस योजना में न्यायालय की अनुमति के बिना परिवर्तन नही कर सकती है। इसके बावजूद राज्य सरकार ने इस वर्ष अनाज की मात्रा को 35 किग्रा से घटाकर 25 किग्रा की है, जो कि उच्चतम न्यायालय के आदेश का उल्लंघन है। इसके अलावा ए.पी.एल. श्रेणी के परिवार को 35 किग्रा प्रति माह 6.80 रुपए प्रति किग्रा की दर से वितरित करने का प्रावधान है। जबकि वर्तमान में राज्य के ए.पी. एल. परिवारों को मात्र 10 किग्रा गेंहु वितरीत किया जा रहा है।

अन्य समस्याएं –

राज्य में महानरेगा के अंतर्गत प्रति परिवार औसत मजदूरी एवं काम के दिनों में पिछले वर्ष की तुलना में कमी आई है। हांलांकि महानरेगा योजना का अकाल एवं सूखे की मार झेल रहे लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण योगदान है। पिछले वर्ष प्रति परिवार औसत कार्य दिवस 76 थे, जो इस वर्ष घटकर 69 दिन हो गए हैं। इसके अलावा औसत मजदूरी में भी गिरावट हुई है एवं जनजाति क्षेत्र के बहुत से ईलाकों में तो औसत मजदूरी 50 रुपए से भी कम रही है। राज्य में बहुत से आदिवासी (जो कि वन क्षेत्रों में रहते है एवं अपनी आजीविका एवं भोजन के लिए वनों पर निर्भर रहते है) वन अधिकार से वंचित है। अप्रेल, 2010 तक, वन अधिकार मान्यता अधिनियम– 2006 के तहत 60,353 दावे प्रस्तुत किये गए, जिसमें से 30,182 दावे निरस्त कर दिये गए। अतः 50 फीसदी से अधिक दावे निरस्त होने से इन आदिवासियों की आजीविका प्रभावित होने से इनकी खाद्य सुरक्षा पर असर पड़ेगा।

अतः राज्य में खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिये कृषि विकास के अंर्तगत कृषि उत्पादन को बढाना और सुखा एवं अकाल प्रभावित क्षेत्रों तक राहत पहंचानी होगी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत सभी वर्गों को सस्ती दरों पर अनाज एवं दालों के साथ अन्य खाद्य सामग्री भी वितरित की जानी चाहिये। इसके अलावा महानरेगा, विधवा एवं वृद्धावस्था पेंशन, समन्वित बाल विकास योजना, मिड–डे–मिल एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं की प्रमुखता और गुणवत्ता के साथ जरुरतमंद लोगों तक पहुंच सुनिश्चित करनी होगी।

वैधव्य की मार पर उदासीन सरकार

विधवा महिलाओं को समय पर नहीं मिलता संबल

समाज की रुढ़ीवादी सोच ने विधवा शब्द को एक अभिशाप बना दिया है। भारतीय समाज में विधवा को इस कदर हेय दृष्टि से देखा जाता है कि उन्हें अपना जीवन एक बोझ लगने लगता है। एक विधवा के लिए वैधव्य का समय सबसे कठिनतम एवं संघर्षशील माना जाता है क्योंकि दुःखों के उस ह्रदय विदारक काल के दौरान उसके पराए तो पराए अपने तक भी साथ छोड़ देते है। ऐसे समय में अगर उसे भावनात्मक, मानसिक, आर्थिक एवं सामाजिक रुप से सहानुभूति ना मिले तो उसके पास टूटकर बिखरने के अलावा कोई चारा नहीं रहता।

यदि विधवा महिला को भावनात्मक, मानसिक एवं सामाजिक सहयोग मिल जाता है तो वह अपने आपको समाज की मुख्यधारा से जोड़ने में कामयाब हो सकती है। सामाजिक सहयोग से वह अपने परिवार को विकास की राह पर आगे ले जा सकती है।

अब यहां सवाल यह उठता है कि उसे यह सहयोग कैसे मिलेगा। इस सवाल का एक ही जवाब है कि सरकार को कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे विधवा महिला को समाज में आदर के साथ जिने का हक मिल सके। राज्य सरकार का यह परम कर्तव्य है कि वह विधवा महिला को आर्थिक सहायता प्रदान करे ताकि उसे समस्याओं से निजात मिल सके।

राज्य सरकार की ओर से विधवा महिलाओं को दिए गए संबल की यदि आंकड़ों के आधार पर बात की जाए तो विधवाओं की स्थिति काफी दयनीय नजर आती है। वित्तीय वर्ष 2005–06 में राज्य सरकार ने विधवा को दी जाने वाली पेंशन की राशि 200 रुपए प्रतिमाह रखी थी। विधवाओं की कमजोर आर्थिक स्थिति को देखते हुऐ इसे वर्ष 2006–07 में संशोधन कर 250 रुपए प्रतिमाह किया गया। इसी प्रकार वर्ष 2007–08 में पुर्नसंशोधन कर इस राशि को 250 रुपए से बढ़ाकर 400 रुपए प्रतिमाह कर दिया गया। चालू वर्ष 2010–11 में विधवाओं को मिलने वाली पेंशन की राशि को 400 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है। आसमान छूती महंगाई के दौर में 500 रुपए की राशि बहुत ही कम है। इस राशि में सामान्य व्यक्ति अपने दस दिन का गुजारा भी नहीं कर सकता, ऐसे में विधवा महिला को महीनेभर की पेंशन के रुप में यह राशि दिया जाना उसके साथ छलावा है। देखा जाये तो विधवा पेंशन की तुलना में महंगाई कई गुणा ज्यादा बढ़ चुकी है या फिर यू कहें कि महंगाई की तुलना में विधवा पेंशन में वृद्धि बहुत ही कम हुई है। इस महंगाई को देखते हुऐ विधवा पेंशन राशि में और अधिक वृद्धि होनी चाहिए थी लेकिन ऐसा नही हुआ और राज्य सरकार ने विधवाओं को सांत्वना के बतौर पेंशन राशि में मात्र 100 रू. बढ़ाकर अब उसे 500 रू. प्रतिमाह कर दिया। सरकार को चाहिए कि विधवा पेंशन राशि में वृद्धि महंगाई में हो रही वृद्धि को देखते हुए की जाए जिससे उन महिलाओं को वो लाभ तो मिल सके जिसकी वे वास्तव में हकदार हैं। यह उसी स्थिति में मुमकिन हो सकता है जबकि बजट बनाते समय सरकार विधवाओं की आर्थिक स्थिति और महंगाई में हो रही वृद्धि दर को ध्यान में रखे और इन दोनों के बीच उचित तालमेल बिठाए।

कहने का तात्पर्य यह है कि अगर विधवाओं के दुःख दूर करने ही है और उन्हें कुछ सहायता देनी ही है या उन तक सुविधाएं पहुंचानी है तो उनकी आर्थिक स्थिति और महंगाई दोनों को ध्यान में रखा जाना ही चाहिए तभी विधवाओं का कल्याण हो सकता है। विधवाओं के सामने एक विकट समस्या है यह भी है कि उनको केवल 500 रुपए में ही पूरे महीने अपना घर चलाना है और इसी राशि में अपने पारिवारिक व सामाजिक कार्य भी सम्पन्न करने हैं। ऐसे में उसे यदि अपने बच्चों का पालन पालन–पोषण एवं पढ़ाई भी इसी राशि में करने हैं तो यह किसी भी सूरत में संभव नहीं है।

कई बार तो ऐसी समस्या भी आती है कि अगर उस विधवा के पुत्र है और उसकी शादी हो गई है तथा उसकी पत्नी उसके साथ रहती है तो वह अपनी विधवा मां की देखभाल नही करता और उसे अकेला छोड़ कर अपनी पत्नी के साथ रहता है, ऐसे में उस विधवा का सहारा कौन होगा?

कभी कभी विधवा महिलाओं को ऋण की भी आवश्यकता पड़ती है, लेकिन उनकी कमजोर आर्थिक स्थिति को देखते हुए कोई भी सरकारी अथवा निजी बैंक उन्हे ऋण देने के लिए तैयार नहीं होता है। ऋण देने वाले को यह मालूम है कि इसके घर में अब कोई कमाने वाला नही है तो ये विधवा महिला ये ऋण जो लेगी उसे चुकायेगी कैसे?इस डर से कि उसका ऋण कही डूब न जाये, हर कोई उसे ऋण देने से इन्कार कर देता है या फिर उसके गहने, जमीन, अथवा मकान अगर है तो उनको गिरवी रख कर उसे महजान और सूदखोर उंची दरों पर ऋण देते हैं। ऋण लेने के बाद वह ब्याज के बोझ तले इतना दब जाती है कि उस समय लिया गया ऋण उससे चुकाया नही जाता और उसकी आने वाली पीढ़ी को ये बोझ झेलना पड़ता है। अगर ऐसी स्थिति में शुरू में सरकार उनकी (विधवाओं की) आर्थिक सहायता दे कर मदद करे तो विधवाएं ऋण के बोझ से बच सकती है

संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि विधवाओं के दुःखों को कम करने के लिए कुछ कदम उठाये जाने चाहिए। अगर विधवाओं के दुःखों को कम करना है तो उस महिला को उस समय आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए जब उसके पति की मृत्यु होती है, ताकि उस आर्थिक सहायता से वह महिला उस समय के अपने पारिवारिक व सामाजिक कार्य पूर्ण कर सके, और उसे ऋण लेने की आवश्यकता नही पड़े। अतः सरकार को ऐसी समस्या आने पर तुरन्त ग्राम पंचायत के माध्यम से उन विधवाओं को आर्थिक सहायता देनी चाहिए। ऐसी स्थिति में सहायता के लिए सरकार को कुछ बजट पहले से रखना चाहिए जिसमें फेर बदल भी किया जा सकें ताकि उस बजट का उपयोग आवश्यकतानुसार ही किया जा सके। अगर सरकार ये कदम उठाती है तो ये एक महत्वपूर्ण कदम होगा जिसकी चारों तरफ सराहना होगी।

कठिन हुआ पशुपालन ....

शेष पृष्ठ 1 का शेष

जबकि दो किलोग्राम दूध रखने वाले किसानों की संख्या आठ फीसदी है. राज्य में दो से पांच किलोग्राम तक दूध अपने घर में उपयोग के लिए रखने वाले किसानों की तादाद 23 फीसदी है, जबकि पांच से दस किलोग्राम तक दूध घर में रखने वाले किसानों की संख्या 23 फीसदी है. किसानों की ओर से बेचे जाने वाले दूध को भी इस अध्ययन में शामिल किया गया है. प्रदेश में करीब 54 फीसदी किसान ध्से हैं जो जरा भी दूध नहीं बेचते हैं, जबकि दो से पांच किलोग्राम तक दूध बेचने वाले किसानों की तादाद 23 फीसदी है. प्रदेश में महज तीन फीसदी किसान ध्से हैं जो दस किलोग्राम दूध हर दिन बेचते हैं. पांच से दस किलोग्राम दूध हर दिन बेचने वाले किसानों की संख्या साढ़े आठ फीसदी है.

पशुपालन से नहीं होती आमदनी :

बार्क के इस अध्ययन में पशुपालन से किसानों को होने वाली आमदनी का भी खुलासा किया गया है. प्रदेश में 44 फीसदी किसान से हैं जिनको पशुपालन से कोई आमदनी नहीं होती. पशुपालन से दस हजार रुपए तक की वार्षिक आमदनी वाले किसानों की संख्या 22 प्रतिशत है, जबकि दस हजार से तीस हजार रुपए तक आमदनी वाले किसानों की संख्या 12 प्रतिशत है.

भैंस पालते हैं सबसे ज्यादा किसान : बार्क के अध्ययन में यह भी सामने आया है कि राज्य में करीब छह फीसदी किसान ध्से हैं जिनके पास पशु संपदा के नाम पर कुछ भी नहीं है. इस अध्ययन के अनुसार प्रदेश में किसान सबसे ज्यादा भैंस पालते हैं. इसके बाद गाय पालने वाले किसानों का नंबर आता है. राज्य में भैंस पालने वाले किसानों की संख्या 37.58 फीसदी है जबकि 36.58 प्रतिशत किसान गाय पालते हैं. राज्य में करीब 12 फीसदी किसान ध्से हैं जो बकरी पालन करते हैं, जबकि भेड़ पालने वाले किसानों की संख्या महज एक फीसदी है.

बैंक भी वसूलते हैं किसान से अधिक ब्याज:

बार्क के इस अध्ययन में यह उभरकर आया है कि सिर्फ सूदखोर ही नहीं बल्कि बैंक भी किसान से अधिक ब्याज वसूलने में गुरेज नहीं करते. छह प्रतिशत की दर पर ब्याज महज 0. 55 फीसदी किसानों को ही मिल पाता है. सात प्रतिशत की दर से ऋण लेने वाले किसानों की संख्या 75 फीसदी है जबकि आठ फीसदी की ब्याज दर पर 0.55 किसानों को ही ऋण मिल पाता है. इस अध्ययन में यह सामने आया कि एक प्रतिशत किसानों को नौ फीसदी और पांच फीसदी किसानों को 12 फीसदी की दर पर ऋण मिला. 11 प्रतिशत की दर पर ऋण पाने वाले किसानों की संख्या साढ़े तेरह प्रतिशत है जबकि तीन प्रतिशत किसान ध्से हैं जिन्हें 13 फीसदी की दर पर ऋण मिला. राजस्थान में 16 फीसदी और 35 फीसदी की दर पर बैंकों से ऋण पाने वाले किसानों की संख्या 0.55 प्रतिशत है. बजट विश्लेषक नगेंद्र सिंह खंगारोत का कहना है कि 16 प्रतिशत और 35 प्रतिशत की ब्याज दर तो सूदखोर भी नहीं वसूलते हैं.

नोटः– इस अध्ययन की पूर्ण रिर्पोट के लिए हमें लिख सकते हैं, इस की प्रतियां निःशुल्क उपलब्ध हैं।

आपका पन्ना.....

बजट समाचार आपका अपना अखबार है। हर तीन माह में प्रकाशित होने वाले अंक में हम विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की स्थिति का अवलोकन कर आपके सामने लाने का प्रयास करते हैं। राज्य सरकार की नीतियों और विभिन्न योजनाओं के लिए आवंटित बजट की समीक्षा कर हम अपने पाठकों को अपडेट करने की कोशिश करते हैं। बजट समाचार में प्रकाशित हर समाचार और लेख पर आप हमें अपनी राय से अवगत करा सकते हैं। भविष्य में बजट समाचार आप किस कलेवर और रुप में देखना चाहते हैं। किन मुद्दों और विषयों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, इन तमाम पहलूओं से आप हमारा ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। बजट समाचार के लिए आपकी ओर से भेजे गए हर सुझाव का हम स्वागत करते हैं। आशा है आप हमें अपने सुझावों से जरुर अवगत कराएंगे। आपके पत्र हमारा मार्गदर्शन करने में मददगार साबित होंगे। बजट समाचार में सुधार के लिए भेजे गए कुछ चुनिंदा पत्रों को हम अगले अंक में प्रकाशित करने की कोशिश करेंगे।

– बार्क टीम

शराब की बढ़ती बिक्री और बढ़ता महिला अत्याचार !

- **नशे का कारोबार बढ़ा रहा है महिला अत्याचार**
- **शराबखोरी से बढ़े आधी दुनिया पर अत्याचार**
- **शराब के बढ़ते प्रचलन के कारण महिला हिंसा में 30 प्रतिशत बढ़ोतरी**

राजस्थान में शराब की बढ़ती बिक्री का खमियाजा आधी दुनिया को चुकाना पड़ रहा है। यह बात भले ही राज्य सरकार के गले न उतरे, लेकिन आंकड़े तो यही तस्वीर बयां कर रहे हैं। पिछले चार–पांच साल में प्रदेश में शराब की दुकानों की तादाद में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। दुकानों की संख्या बढ़ने के कारण शराब की बिक्री और राजस्व में बढ़ोतरी हुई है। राज्य सरकार को करों से प्राप्त होने वाली कुल कमाई का करीब आठ से नौ फीसदी हिस्सा आबकारी से प्राप्त होता है। यह राशि शराब की बिक्री, शराब की दुकानों के लाइसेंस जारी करने, बिक्री एवं उत्पादन से प्राप्त होने वाले राजस्व और शराब से संबंधित अन्य गतिविधियों से प्राप्त होती हैं।

राजस्थान में वर्ष 2002–03 में आबकारी राजस्व करीब 1142 करोड़ रुपए था जो कि वर्ष 2005–06 में बढ़कर 1522 करोड़ और वर्ष 2009–10 में 2200 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। यानि सात साल में आबकारी राजस्व बढ़कर दुगुना हो गया है। वर्ष 2010–11 के बजट अनुमान में राज्य सरकार ने आबकारी राजस्व से प्राप्त होने वाली आय 2450 करोड़ मानी है जो कि वर्ष 2005–06 की तुलना में लगभग 61 प्रतिशत ज्यादा होगी।

आबकारी विभाग के सूत्रों की माने तो इस राशि में यदि शराब और मादक पदार्थों के अवैध कारोबार को भी शामिल कर लिया जाए तो आंकड़ा 5000 करोड़ के पार पहुंचता है। पड़ौसी राज्यों से शराब तस्करी और कच्ची शराब के निर्माण का किसी तरह का सरकारी रिकार्ड नहीं मिलता है।

यह तो रहा शराब की बढ़ती बिक्री का उजला पक्ष अब जरा इसके धुंधले पक्ष पर भी नजर डालते हैं। राष्ट्रीय आपराधिक रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट पर नजर डालें तो राजस्थान में जिस गति से शराब का प्रचलन बढ़ा है उससे भी तेज गति से महिला अत्याचार के मामले बढ़ रहे हैं। पिछले नौ साल में छेड़छाड़, दहेज हत्या और प्रताड़ना जैसे मामलों में काफी वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय आपराधिक रिकार्ड ब्यूरो के अनुसार वर्ष 2000–01 में राजस्थान में बलात्कार के मामलों की संख्या 1242 थी जो अब बढ़कर 1400 के पार पहुंच गई है। इसी तरह वर्ष 2000–01 में दहेज हत्या के 430 मामले सामने आए थे जो अब बढ़कर 500 तक पहुंच गए हैं। इसी तरह प्रताड़ना और छेड़छाड़ जैसे मामलों में भी अभूतपूर्व बढ़ोतरी हुई है।

आमतौर पर यह माना जाता है कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले अधिकांश अपराधों के पीछे मुख्यतः शराबखोरी महत्वपूर्ण कारण होती है। समाजशास्त्री मानते हैं कि शराब के नशे में व्यक्ति अपने होश ओ हवाश खो बैठता है, नतीजतन वह अपराधवृत्ति की तरपफ अग्रसर हो जाता है। उपर दिए गए आंकड़ें तो सरकारी रिकार्ड से लिए गए हैं जबकि ज्यादातर आपराधिक मामलों में संकोची स्वभाव के कारण महिलाएं मुकदमा भी दर्ज नहीं करवाती हैं।

यद्यपि महिलाओं की सुरक्षा हेतु सरकार द्वारा पूर्व में किए गए प्रयासों को नकारा नहीं जा सकता लेकिन वर्तमान व्यवस्था में व्याप्त खामियों को अनदेखा भी तो नहीं किया जा सकता है। वर्तमान व्यस्था में सुधार के साथ साथ पूर्व में किए गये प्रयासों के जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन की भी आवश्यकता है। व्यवस्था में सुधारों के बारे में बात की जाए तो सर्वप्रथम शराब की बिक्री एवं वितरण के समुचित प्रबंधन में सुधार की आवश्यकता है।

जनसंख्या के एक निश्चित अनुपात की तुलना में शराब की दूकानों का आंवटन क्षेत्रवार सुनिश्चित करना, शराब बिक्री के लिए निश्चित समय सीमा का अनिवार्य रुप से पालन कराया जाना, घटिया एवं अवैद्य शराब के निर्माण, तस्करी एवं व्यापार पर पूर्ण रुप से लगाम कसना और पड़ौसी राज्यों से शराब लाए पर सख्त दंडात्मक कार्रवाई कर इस व्यवस्था में सुधार लाया जा सकता है।

शराब के कारण महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के कानूनी प्रावधानों का सहारा लिया जाना चाहिए। आमतौर पर महिलाओं में घरेलू हिंसा अधिनियम के बारे में जानकारी का अभाव पाया जाता है और अगर कुछ महिलाओं को जानकारी है भी तो अपनी भावुक सोच के कारण ये महिलाएं परिवार के पुरुषों के खिलाफ कोर्ट में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाती हैं। अतः महिलाओं को अधिनियम के बारे में जानकारी देकर उन्हें जागरुक बनाया जाना चाहिए। कानूनों की पूरी जानकारी से ही महिलाएं अत्याचारों के खिलाफ और अधिक सशक्त बन पाएंगी। तीसरा प्रयास यहां पर राज्य में पुलिस विभाग को महिलाओं की सुरक्षा के प्रति और अधिक जिम्मेदार बनाना हो सकता है, महिलाओं के साथ घटने वाली हिंसक घटनाओं को तत्काल रुप से दर्ज किए जाना एवं आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही करना,, शराब की तस्करी एवं अवैद्य निर्माण को रोकना आदि कार्य महिला हिंशा की रोकथाम में मददगार साबित हो सकते हैं।

शराब से होने वाली आय :

वर्ष	आय (राशि लाख रू. में)
2002–03	1142.34
2003–04	1163.15
2004–05	1276.07
2005–06	1521.80
2006–07	1591.09
2007–08	1805.12
2008–09	2169.89
2009–10	2200.00
2010–11	2450.00

निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा..

शेष पृष्ठ 1 का शेष

के लिए केन्द्र सरकार राज्यों के साथ आपसी सलाह करके योगदान करेगी। कानून के अनुसार वित्तिय राशि हेतु केन्द्र एवं राज्यों के बीच 55:45 के अनुपात में साझा कोष बनाया जाएगा।

- सत्र के दौरान कभी भी प्रवेश दिया जा सकेगा एवं इसके लिए बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र अथवा स्थानांतरण प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों की आवश्यकता भी नहीं होगी।

वित्त आयोग के अनुसार इस कानून की क्रियान्विती के लिए देश भर में आगामी पांच वर्षों में 171 हजार करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी जिसके लिए चालू वित्त में राज्यों को 25 हजार करोड़ रुपए दिए जाने का प्रस्ताव है किया गया है। बजट के परिप्रेक्ष्य में देखें तो केन्द्र सरकार के वर्ष 2009–10 के बजट में शिक्षा पर किया गया व्यय, कुल बजट व्यय का 3.88 प्रतिशत था जिसे आंशिक रुप में बढ़ाकर 2010–11 में 4. 50 प्रतिशत कर दिया गया है। अगर राजस्थान के स्तर पर बात की जाए तो वर्ष 2010–11 हेतु शिक्षा पर किए जाने वाला कुल प्रस्तावित व्यय 5819.60 करोड़ रुपए हैं जो कि कुल बजट व्यय का लगभग 10.7 प्रतिशत है। वर्ष 2009 की तुलना में इसे 10 प्रतिशत बढ़ाया गया है। महत्त्वपूर्ण बात यह है कि राज्य सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में पूंजीगत व्यय, जिसका उपयोग विद्यालय भवनों, शौचालय जैसी स्थायी परिसम्पत्तियों के निर्माण में होता है, को गत वर्ष की तुलना में घटाकर कम कर दिया गया है। वर्ष 2009 के संशोधित अनुमानों के अनुसार यह राशि 1 करोड़ लाख था जिसे वर्ष 2010–11 के प्रस्तावित अनुमानों में 15 लाख 56 हजार रुपए कर दिया गया है।

अब देखना यह है कि कानून को वास्तविकता का अमलीजामा पहनाने के लिए भारी संख्या में आवश्यक विद्यालय भवनों, अध्यापकों एवं अन्य सुविधाओं (पेयजल, रसोई, शौचालय आदि) को राज्य सरकार बजट में किस प्रकार समावेशित करती है क्योंकि इसके लिए केन्द्र सरकार से प्राप्त सहायता राशि के अतिरिक्त राज्य के वर्तमान स्तरीय शिक्षा बजट में भी बहुत अधिक राशि बढ़ाये जाने की आवश्यकता होगी।

संपादक – नेसार अहमद व नगेन्द्र सिंह
संपादक मण्डल – मुकेश कुमार बंसल, रागिनी शर्मा, महेन्द्र सिंह राव, दीप्ति कोठारी
सहयोग – सीताराम मीणा
सलाहकार – डॉ. जिनी श्रीवास्तव

विभिन्न विभागों की बजट सम्बन्धी विस्तृत जानकारी एवं बजट समाचार के लिए आप हमसे निम्न पते पर सम्पर्क कर सकते हैं:

बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र
पी–1, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर
फोन/फैक्स : (0141) 238 5254
E-mail : info@barcjaipur.org website : www.barcjaipur.org

बुक पोस्ट

सेवा में,

श्रीमान/श्रीमती.....

.....

.....

..... पिन कोड.....